

छत्रपती शिवाजी एवं शासन व्यवस्थाए**डॉ जसमेर सिंह****असि. प्रोफ.****केन्द्रीय विश्वविद्यालय हरियाणा
महेंद्रगढ़****ABSTRACT**

भारत की धरा पर अनेकों महापुरुषों ने जन्म लिया है जिन्होंने अपने सदकर्म एवं भारती संस्कृति के निर्वाहक के रूप में सफलता व समृद्धि की ऊचाइयों को प्राप्त किया है। इन्ही महापुरुषों की श्रेणी में छत्रपति शिवाजी का नाम भी अग्रणीय है। वह एक कुशल प्रशासक और सफल शासक के रूप में जाने जाते हैं। उन्होंने सुशासन के आधार पर अपनी अमिट छाप छोड़ी। यदुनाथ सरकार के अनुसार – “उन्होंने किसी अनुभवी मंत्री अथवा सेना नायक की सहायता नहीं मिली थी। अपनी राष्ट्रीय व अलौकिक क्षमता के आधार पर उन्होंने सुसंगठित राज्य, अजेय सेना तथा आदर्श जन कल्याणकारी शासन स्थापित किया।¹ साधारणतः छत्रपति शिवाजी की शासन व्यवस्था उस समय की शासन व्यवस्था का श्रेष्ठतम भारतीय स्वरूप थी, जिसकी नींव भारत की प्राचीन व्यवस्था में निहित है।² 16 वर्ष की अल्प आयु में शिवाजी ने पूना एवं सूपा की छोटी जागीरों को उचित प्रशासन व्यवस्था प्रदान की और अपने अधीन 12 जिलों को पूरी तरह से संगठित कर लिया था।³ अपनी प्रशासनिक एवं सैनिक व्यवस्थाओं के लिए छत्रपति शिवाजी ने आठ प्रमुख विभाग स्थापित किए। इसे अष्ट प्रधान व्यवस्था के नाम से भी जाना जाता है। छत्रपति शिवाजी का राज्य निरंकुश जनकल्याणकारी था। उनके राजत्व सिद्धांत के केंद्रों में प्रजा कल्याण निहित था। प्रशासनिक पदों पर नियुक्ति वंश परंपरा न होकर योग्यता का आधार था। उनके राज्य में सभी जातियों को सरकारी नौकरी में समान अवसर दिए जाते थे।

Paper Received date

05/03/2025

Paper date Publishing Date

10/03/2025

DOI<https://doi.org/10.5281/zenodo.15319552>**IMPACT FACTOR****5.924**

छत्रपति -राज्य के सर्वोच्च पद पर छत्रपति होता था। वह अपनी प्रजा कल्याण का पूरा ध्यान रखता था। प्रशासन को सुचारु रूप से चलाने के लिए एक मंत्री परिषद का भी गठन किया गया था जिसे अष्ट प्रधान कहा जाता था।⁴ शिवाजी ने शुरुआत से ही स्वराज्य की अवधारणा रखी और लोगों को इसका अर्थ भी समझाया लेकिन उन्होंने का भी सार्वजनिक रूप से न एकांत में किसी से यह नहीं कहलवाया कि यह मेरी अवधारणा है। उन्होंने हमेशा स्पष्ट और ऊँचे स्वर में कहा कि स्वराज्य श्री की इच्छा है। इसी कारण से वे इस

संकल्पना का संप्रेषण सफलतापूर्वक कर पाए। छत्रपति शिवाजी ने लोगों के मन में स्वराज्य के प्रति आस्था जागृत की। यही कारण था की उन्होंने शासन तंत्र में सिपाही से सेनापति तक, नागरिक से नायक तक सभी आत्मविश्वास से भरे हुए थे।⁵

पेशवा -पेशवा फारसी का शब्द है जिसका अर्थ होता है -मुख्यमंत्री। इसे पंत प्रधान के नाम से भी जाना जाता था। यह प्रधान व्यवस्थापक के रूप में कार्य करता था। सर्वप्रथम नीलकंठ रोजेकर पेशवा के पद पर नियुक्त हुए। उसके बाद मोरोपंत पिंगले को पेशवा बनाया गया।⁶ यह सब मंत्रियों के कार्यों की जांच पड़ताल करता था। शिवाजी की अनुपस्थिति में यही शासन चलाया करता था। इस पद पर प्रायः ब्राह्मण ही नियुक्त होते थे। छत्रपति शिवाजी ने कभी भी परिवार या रिश्तेदार को संबंध के कारण इस पद पर नियुक्त नहीं किया। वे केवल योग्य व्यक्ति को इस उसकी योग्यता के आधार पर नियुक्त करते थे। दरबार में पेशवा का आसन राजसिंहसन के दाहिने ओर सर्वप्रथम था।⁷

मजूमदार -छत्रपति शिवाजी के सबसे प्रारंभिक प्रशासनिक परिषद में केवल चार अधिकारी पेशवा, मजूमदार, दबीर और सबनीस थे।⁸ आबाजी सोनदेव जोकि कल्याणकारी जागीरदार थे, मजूमदार के पद पर नियुक्त थे। इस पद के अधीन अर्थव्यवस्था, लगान वसूली और सरकारी आय व्यय की जांच आदि कार्य थे। शिवाजी महाराज वित्त प्रबंधन के मामले में सचेत रहते थे। छोटे से छोटे कर्मचारी व लेखापाल को हिसाब दुरुस्त रखने के सख्त आदेश थे। जो भी कर्मचारी अपने काम में लापरवाही करता तो उसके विरुद्ध सख्त कारवाही की जाती थी। इसी कारण से उनका वित्त विभाग स्वराज्य में बाहर से आने वाली वस्तुओं पर कड़ी नजर रखता था जिससे उनके राज्य में उत्पादक, व्यापारी व उपभोक्ता के हितों का सदैव संरक्षण होता था।⁹ छत्रपति बाहर से वस्तु आयात की बजाय तकनीक के आयात पर जोर देते थे। तोपों की जरूरत बढ़ने पर उन्होंने अंग्रेजों से तकनीकी सहयोग प्राप्त करने का प्रयत्न किया। लेकिन अंग्रेजों द्वारा आनाकानी करने पर उन्होंने फ्रांस के सहयोग से पुरंदर किले पर तोप का कारखाना लगाया। उनके राज्य में 12 डिपार्टमेंट और 18 कारखाने थे।¹⁰ स्वदेशी जलपोत निर्माण के लिए उन्होंने कल्याण और भिंडवी में भी जलपोत कारखाने लगावाये उनके प्रयत्नों से स्वराज्य में रोजगार भरा और वित्त व्यवस्था समृद्ध हुई।

सुरनीस (सचिव)- इसे पंत सचिव भी कहा जाता था। यह पत्र के आरंभ में शुरू शुद्ध लिखता था इसलिए इसे सुरनीस जाता था। इसका कार्य सरकारी पत्र व्यवहार व उसका निरीक्षण करना होता था प्रत्येक शांति वार्ता या आदेश सर्वप्रथम इसके पास आता था। सुरनीस की स्वीकृति के बाद ही प्रभावपूर्ण हो जाता था। इस कार्यालय के प्रधान पद पर अन्ना जी दत्तो नियुक्त थे।¹¹ वह महलों और परगनों के खातों की भी जांच करता था।

वाकियानवीस - दत्ताजी पंत इस विभाग के प्रधान पद पर नियुक्त थे। यह राजा के दैनिक कार्यों तथा गृह प्रबंध की देखभाल करता था। इस विभाग के अंतर्गत गुप्त व व्यक्तिगत पत्रों, लेखों और अभिलेखों की सुरक्षा का भी भार था।¹² वाकियानवीस का प्रमुख कार्य विभिन्न प्रकार की जानकारीयों एवं गुप्त संदेशों की सत्यता की जांच करके शिवाजी को अवगत करवाना था। छत्रपति शिवाजी ने व्यवस्था को महत्त्व दिया उनकी धारणा यह थी कि व्यक्ति से बड़ी व्यवस्था होती है और महत्वाकांक्षा से बड़ा कर्म होता है।

सुमंत (दबीर)- यह विदेश विभाग का मुखिया होता था। इसका कार्य विदेशी मामलों में राजा को सलाह देना था। सुमंत पद को पहले दबीर के नाम से जाना जाता था। इस पद पर कार्यरत व्यक्ति को मृदुभाषी, मिलनसार वाक्पटु, व्यवहारकुशल व कूटनीतिज्ञ होना आवश्यक होता था। सन् 1641 ईस्वी में सर्वप्रथम मुत्सद्दी सोनोपंत को इस पद पर नियुक्त किया गया था। छत्रपति शिवाजी के राज्याभिषेक के समय रामचन्द्र त्रयम्बक को सुमंत पद पर नियुक्त किया गया।¹³ छत्रपति शिवाजी ने अपनी विदेश नीति के अनुसार सर्वप्रथम 09 शत्रुओं की पहचान की थी। वे मुगल आदिलशाही, कुतुबशाही, अंग्रेज, पुर्तगाली, फ्रेंच, डच, सिद्धि व आंतरिक शत्रु। उनके अनुसार बाहर का शत्रु तो मार करने से पहले दिखाई देता है लेकिन अंदर का शत्रु कभी कभी मार करने के बाद भी दिखाई नहीं देता शिवाजी पड़ोसी राज्यों से व्यवहार में शक्ति और संतुलन का पूरा ख्याल रखते थे। उसने जो भी किया उसके केंद्र में स्वराज को रखा सभी संधिवाताओं में स्वराज के हित को पहले देखा।

सेनापति-आरंभिक काल में यह पद सरनौबत के नाम से जाना जाता था। इसकी कार्य प्रणाली में संपूर्ण सेना की देख-रेख सम्मिलित थी। सेना के दो भाग थे- पैदल और सवार। सेना इस पद पर दो व्यक्तियों की नियुक्ति

की गई थी। यशजी कंक पैदल सेना का और प्रताप राव गुर्जर सवार सेना का सेनापति था।¹⁴ इनका कार्य सेना भर्ती, प्रशिक्षण, पदोन्नति, मानदेय, शस्त्र व्यवस्था और रसद आपूर्ति जैसे विभिन्न विभागों पर प्रशासनिक नियंत्रण करना था। वह हमेशा अपनी सेना की स्थिति और अन्य राजाओं की सैन्य हलचलो से छत्रपति शिवाजी को अवगत करवाते रहते थे। राज्य के प्रारंभिक काल में इस पद पर प्रथम नियुक्ति नूर खान बेग की हुई थी। छत्रपति शिवाजी ने शून्य में से एक विराट संसार खड़ा किया। जब वह इस संसार से गए तो स्वराज के संरक्षण व विस्तार के लिए एक बड़ा सैन्य साम्राज्य भी छोड़ गए। उनकी पैदल सेवा में एक लाख सैनिक और सवार सेना में 105000 सैनिक थे। शिवाजी के सेना व्यवस्था मुगलों की सैन्य व्यवस्था के विपरीत थी। फ्रेंच लेखक मार्टिन के अनुसार-“ उनकी पूरी सेवा में 2 ही टेंट लगते थे एक छोटा टेंट जिसमें स्वयं शिवाजी विश्राम करते थे और दूसरे बड़े टेंट में प्रमुख सरदार विश्राम करते थे। शेष सभी सैनिक व अधिकारी खुले आसमान के नीचे विश्राम करते थे जिसके कारण उनकी सेना तत्काल सक्रिय हो सकती थी। शिवाजी की सेना में महिला व नौटंकी वाले को ले जाने की सख्त मनाही थी।¹⁵

पंडिताराव - यह दान विभाग का अधिकारी होता था। इसके मुख्य कार्यों में जनता के नैतिक जीवन को ऊंचा उठाना, पाप करने वालों को दंड देना, योग्यतम व्यक्तियों को दान देना आदि था। यह न्यायालय का भी अध्यक्ष होता था।¹⁶ इस पद पर रघुनाथ पंत को नियुक्त किया गया था। पंडित राव का प्रमुख दायित्व धार्मिक विषयों में शास्त्रसम्मत मत देना, समाज में अच्छी पाठशालाओं को प्रोत्साहन देना व विभिन्न धार्मिक कर्मकांडों को संपन्न करने वाले आचार्य को राजाश्रय प्रदान करना प्रमुख था। पंडिताराव को युद्ध क्षेत्र में जाने की अनिवार्यता से मुक्ति थी।

न्यायधीश- छत्रपति शिवाजी ने न्याय व्यवस्था को प्रशासनिक स्वरूप प्रदान किया। वे चाहते थे कि स्वराज की जनता को उचित व त्वरित न्याय प्राप्त हो निराजीराव की नियुक्ति इस पद पर हुई। न्यायाधीश को भी युद्ध में जाने की मनाही थी, यह छोटी अदालतों के निर्णय के विरुद्ध अपील सुनता था। छत्रपति शिवाजी की न्याय प्रणाली पक्षपात रहित थी। यह न्याय करते समय सबको समान नजर में देखते थे। उन्होंने कभी भी वरिष्ठ व्यक्ति और सामान्य व्यक्ति में भेद नहीं किया। उनके अनुसार न्याय प्रक्रिया में निर्णय केवल घटना

विशेष पर नहीं बल्कि वह समाज को संदेश देते हुए दिशा प्रदान करते हैं।¹⁷ इसके अलावा छत्रपति शिवाजी ने अनेक कारकून, चिटनीस, फडनवीस आदि की नियुक्ति की हुई थी।

वेतन व्यवस्था- छत्रपति शिवाजी के प्रशासनिक व्यवस्था में अधिकारियों को वेतन पर्याप्त व अच्छे दिए जाते थे। पेशवा को 15000 हूण वार्षिक, अमात्य को 12000 हूण वार्षिक और शेष 6 मंत्रियों को 10000 हूण वार्षिक मिलता था। वेतन अच्छे इसलिए रखे गए थे कि धनाभाव के कारण अधिकारियों में निवृत्ति ना आए। छत्रपति शिवाजी के शासन व्यवस्था में हमें पर्यावरण संरक्षण, महिला सम्मान, अल्पसंख्यकों की सुरक्षा, भ्रष्टाचार मुक्त कार्य, योग्यता के आधार पर नियुक्ति आदि संरचना देखने को मिलती है। उनके बनाए कानून में सभी का कल्याण और समानता निहित थी। उन्होंने लोगों के मन में स्वराज की प्रेरणा जागृत की जो कि उनके मरने के बाद तक मराठा राज्य के कायम रहने के रूप में उन्नतशील दिखाई देता है।

निष्कर्ष - अंत में हम यह कह सकते हैं कि छत्रपति शिवाजी ने स्वराज की स्थापना करके जन भागीदारी को सुनिश्चित किया। उन्होंने लोगों के स्वयं के राज्य के प्रति प्रेरित किया। उनकी अष्टप्रधान प्रणाली में सभी आधिकारिक कर्तव्य निश्चित थे। अपराध के मामले में किसी के साथ कोई रियायत नहीं थी। छत्रपति शिवाजी ने स्वदेशी उत्पादन कृषि उत्पादन आदि के पक्षधर थे। उनके राज्य में योग्यता के आधार पर नियुक्ति की जाती थी। उन्होंने स्वराज की स्थापना के साथ-साथ सूरज की स्थापना की।

संदर्भ -

1. जादू नाथ सरकार ,शिवाजी एंड हिस टाइम्स, कोलकाता, 1908, पृष्ठ 405
2. सतीश चंद्र मित्तल, मराठा शक्ति का उदय, सूर्य प्रकाशन दिल्ली, 1977, पृष्ठ262
3. विनायक दामोदर सावरकर, हिंदू पद पादशाही, नई दिल्ली, 1964, पृष्ठ 10
4. सतीश चंद्र मित्तल, उपरोक्त, पृष्ठ263
5. अनिल माधव दवे, शिवाजी और सुराज, प्रभात प्रकाशन दिल्ली, 2019, पृष्ठ 26
6. जेम्स ग्रांट डफ ,मराठों का इतिहास,(अनुवाद कमलाकर तिवारी) इतिहास प्रकाशन संस्थान इलाहाबाद, 1965, पृष्ठ 140



International Educational Applied Research Journal

Peer-Reviewed Journal-Equivalent to UGC Approved Journal

A Multi-Disciplinary Research Journal

7. सतारा राजा और पेशवा डायरी वॉल्यूम 1, पृष्ठ 41 42
8. बी.एन.पूरी, हिस्ट्री ऑफ इंडिया एडमिनिस्ट्रेशन वॉल्यूम-2(मध्यकालीन भारत) विश्वविद्यालय
बॉम्बे, 1975, पृष्ठ 325
9. अनिल माधव दवे ,उपरोक्त, पृष्ठ 39
10. उपरोक्त पृष्ठ 41
11. जेम्स ग्रांट डव उपरोक्त प्रीस्ट 140
12. शैलेंद्र नाथ साइन एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम ऑफ़ द मराठा
13. अमित माधव दवे उपरोक्त पृष्ठ 201
14. जेम्स ग्रेवाल उपरोक्त पृष्ठ 140
15. गजानन भास्कर बंडल शिवाजी है लाइफ एंड टाइम्स 2011 पृष्ठ 41
16. सतीश चंद्र मित्तल उपरोक्त पृष्ठ 264
17. अनिल माधव दवे उपरोक्त पृष्ठ 83 203